(75)

पुनर्विनियोग / आयोजनेत्तर
संख्या– /XXII / 2012–12(2)2010

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2012

विषयः– **कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों / मोटर गाड़ियों का क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2243 / सू.एवंलो.स.वि. / लेखा / पुनर्विनियोग / 2011–12, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी.एम.–15 में इंगित विवरणानुसार रू0 75.00 हजार (रूपये पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। धनराशि व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम (स्टोर, परचेज रूल्स), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम), शासनादेशों तथा समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, लेकिन नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र बी.एम.–15 में इंगित लेखाशीर्षकों / मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र सं.–219 NP / XXVII (5) / 2011 दिनांक 23 जनवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

.....2.....

78-(2)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या–219/XXVII (5)/2012
देहरादून : दिनांक 23 जनवरी, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 81 /XXII /2012–12(2)2010 दिनांक 13 फरवरी, 2012
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव/मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–5
5– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाइल।

19.1.2012

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष–2011–12

नियंत्रक अधिकारी–महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड प्रशासनिक विभाग–सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अनुदान संख्या–14 मतदेय आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का मदवार विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि स्तम्भ–1	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2220–सूचना तथा प्रचार –आयोजनेत्तर–60–अन्य –001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान–00 मानक मद– 15–गड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद– 800	233	492	75	2220–सूचना तथा प्रचार –आयोजनेत्तर–60–अन्य –001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान–00 मानक मद– 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गड़ियों का क्रय 75	575	725	विभाग के लिए महिन्द्रा बुलेरो वाहन एवं उसकी एसेसरीज के क्रय हेतु शासनादेश संख्या–180/XXII/2011–12(2) 2010, दिनांक 24 अगस्त, 2011 के द्वारा कुल रू0 491255.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस मध्य वाहन की लागत में वृद्धि हो जाने फलस्वरूप बढी हुई कीमत के अंतर एवं देय परिवहन लागत के भुगतानार्थ रू0 75 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

19.1.2012

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।